

12.10.2023:-पत्रावली आज पेशी मे आई। वादी वकील उपस्थित। वादी वकील द्वारा वादपत्र मे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हुए। वादी वकील श्री मनोज झोरड द्वारा फर्द अहकाम पर अंकन किया की पार्टी मुकदमा आगे नहीं चलाना चाहते। वादी वकील ने NO PREES अंकन किया। वादी वकील के NO PREES करने पर वादपत्र वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमीत दाखिल दफतर हो।



सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्ड अधिकारी  
हनुमानगढ